

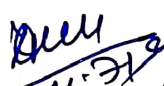
भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 57 / 2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
16.7.19	आवेदक/आवेदिका (1) श्री बिनोद बोदरा (2) श्री नेपाली बोदरा, दोनों के पिता- स्व० मंदुरु बोदरा, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- कोलचकड़ा, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- कोलचकड़ा, थाना नं०-67, थाना-चक्रधरपुर, खाता नं०- 62, प्लॉट नं०- 627, रकवा- 0.10 ए०, क्रेता श्री चन्द्रदेव उराँव, पिता- स्व० सुकरा उराँव, जाति- उराँव (अ.ज.जा.), ग्राम- हाथिया, टोंकाटोला, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>कोलचकड़ा</td><td>67</td><td>चक्रधरपुर</td><td>62</td><td>627</td><td>0.10 ए०</td></tr></table> आवेदक को मकान बनाने हेतु 9,00,000/- (नौ लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.10 ए० को कुल कीमत 9,00,000/- (नौ लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 24.7.19 तक मांग करें । अभिलेख दिनांक 25.7.19 को उपस्थापित करें ।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	कोलचकड़ा	67	चक्रधरपुर	62	627	0.10 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
कोलचकड़ा	67	चक्रधरपुर	62	627	0.10 ए०									
	 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।													

[Signature]
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।